Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 14–2026] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 6, 2026 (CHAITRA 16, 1948 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अप्रैल, 2026

संख्या 21/1–2024 ACD (14).– हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का 12) की धारा 24 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।
2. ये इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में, नियम 131 में निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
   (i) उपनियम (1) में 3 से 5 अंक और शब्दों के स्थान पर 3 से 6 अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
   (ii) उपनियम (2) में ''पाँच'' शब्द के स्थान पर ''छः'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विजय सिंह दहिया,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्कूल शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 3rd April, 2026

No. 21/1-2024 ACD (14).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana School Education Act, 1995 (12 of 1999), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana School Education Rules, 2003, namely:-

1. These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2026.

2. They shall come into force on the date of their publication in the office gazette.

3. In the Haryana School Education Rules, 2003, in rule 131;

(i) in sub-rule (1), for the figures and word "3 to 5", the figures and word "3 to 6" shall be substituted; and

(ii) in sub-rule (2), for the word "five", the word "six" shall be substituted.

VIJAY SINGH DAHIYA,
Principal Secretary to Government Haryana,
School Education Department.

12517—C.S.—H.G.P., Pkl.